रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-03072023-246973
CG-MH-E-03072023-246973

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 467] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 3, 2023/आषाढ़ 12, 1945
No. 467] NEW DELHI, MONDAY, JULY 3, 2023/ASHADHA 12, 1945

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 3 जुलाई, 2023

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अधिनिर्णायक) (निरसन) विनियम, 2023

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/138.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अधिनिर्णायक) विनियम, 2003 को निरस्त करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अधिनिर्णायक) (निरसन) विनियम, 2023 कहा जा सकेगा।
2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
3. इन विनियमों के प्रारंभ से ही, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अधिनिर्णायक) विनियम, 2003 निरस्त हो जाएंगे।
4. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अधिनिर्णायक) विनियम, 2003 के निरस्त होने से-

    (i) उपरोक्त विनियमों के पूर्व प्रवर्तन अथवा उनके तहत की गई किसी भी बात आदि या न की गई किसी भी बात आदि;

(ii) उपरोक्त विनियमों के तहत अर्जित या प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व;

(iii) उपरोक्त विनियमों के किसी उल्लंघन या अपराध के संबंध में लगाई गई किसी शास्ति (पेनल्टी) या दिए गए किसी दंड;

(iv) उपरोक्तानुसार किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति (पेनल्टी) या दंड की बाबत किसी तहकीकात, कानूनी कार्यवाही या उपचार, पर कोई असर नहीं पड़ेगा ।

5. ऐसी कोई तहकीकात या कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी अथवा ऐसा कोई उपचार किया जा सकेगा, उसे जारी रखा जा सकेगा या उसे लागू कराया जा सकेगा, और ऐसी कोई शास्ति (पेनल्टी) लगाई जा सकेगी या ऐसा कोई दंड दिया जा सकेगा, मानो कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अधिनिर्णायक) विनियम, 2003 निरस्त ही न हुए हों ।

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./248/2023-24]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd July 2023

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (OMBUDSMAN) (REPEAL) REGULATIONS, 2023

No. SEBI/LAD–NRO/GN/2023/138.—In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to repeal the Securities and Exchange Board of India (Ombudsman) Regulations, 2003, namely, —

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Ombudsman) (Repeal) Regulations, 2023.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. On and from the commencement of these regulations, the Securities and Exchange Board of India (Ombudsman) Regulations, 2003 shall stand repealed.
4. The repeal of the Securities and Exchange Board of India (Ombudsman) Regulations, 2003 shall not affect—

   (i) the previous operation of the said regulations or anything done or omitted to be done or suffered therein;

   (ii) any right, privilege, obligation or liability acquired or accrued or incurred under the said regulations;

   (iii) any penalty or punishment incurred in respect of any contravention or offence committed under the said regulations;

   (iv) any investigation, legal proceedings or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty or punishment as aforesaid.

5. Any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty or punishment may be imposed as if the Securities and Exchange Board of India (Ombudsman) Regulations, 2003 had not been repealed.

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./248/2023-24]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.